

चयन समिति, जनपद न्यायालय, बदायूँ।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त परिपत्र संख्या 14/एडमिन. 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुक्रम में जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, अधोलिखित तालिकानुसार रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति 65 वर्ष की आयु या 01 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती न हो जाये) की जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।

पुनर्नियुक्त कर्मचारी की सेवा शर्तें माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त परिपत्र संख्या 14/एडमिन. 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुरूप होंगी।

आवेदक अपना आवेदन संलग्न प्रारूप पर दिनांक 23.03.2026 की सायं 04:00 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय बदायूँ के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Sr. No.	CATEGORY OF POST	VACANCIES
01.	Stenographer	8
02.	Group-C	17
03.	Group-D	23

विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये। कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु पत्र लिखा जाये।

जिला सूचना अधिकारी, बदायूँ को व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय व क्षेत्रीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित हो।

Ankur Soodal
12/3/26

अध्यक्ष, चयन समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
बदायूँ।

पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम पासपोर्ट
साइज स्वप्रमाणित
फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम.....
3. पद का नाम (जिस पद पर आवेदन करना चाहते हैं)
4. स्थायी पता.....
5. वर्तमान पता.....
6. मोबाइल नम्बर.....
7. शैक्षिक योग्यता
- (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
8. जन्मतिथि.....
- (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. जनपद न्यायालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुये हैं.....
10. सेवानिवृत्ति की तिथि.....
11. अन्तिम धारित पदनाम (जिस पद से सेवानिवृत्त हुये हैं).....
12. अन्तिम आहरित वेतन.....
- (अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
13. आहरित पेन्शन.....
- (आहरित पेन्शन भुगतान आदेश की छायाप्रति संलग्न करें।)
14. पिछले पाँच वर्षों के अभिलेखों के आधार पर प्रमाण पत्र एवं ए0सी0आर0 की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें।
15. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लम्बित है, यदि 'हाँ' तो उसका पूर्ण विवरण दें।
16. इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें कि वह स्वस्थ है तथा आवेदित पद पर कार्य करने में सक्षम है।

घोषणा

एतद्वारा मैं..... पुत्र/पुत्री..... प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी सूचना मेरे निजी ज्ञान में सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा प्रदत्त कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरी पुनर्नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के निरस्त कर दी जाये मझे कोई आपत्ति नहीं होगी।



Through E-mail/Registered Post

From,

Ashish Garg, H.J.S.
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District & Sessions Judges
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad

C.L. No. 14 /Admin. 'D' Section Dated: 15-10-2022

Subject:- Supersession of C.L. No. 41 Admin (D) Section dated 14.04.1980 regarding Re-appointment of retired District Court Employees.

Madam/Sir,

In the supersession of earlier C.L. No. 41 Admin. (D) Section dated 14.04.1980, Hon'ble Court has been pleased to direct the District Judges that if there is shortage of Staff & difficulty in running the Court, the District Judge under prior intimation to the Hon'ble Court may re-appoint retired District Court Employees against the substantial vacancies existing in their Judgeships, from amongst the superannuated employees of District Court, subject to the terms and conditions as mentioned below-

1. The said retired District Court Employee must not have attained the age of 65 years.
2. Re-appointment may be offered upto one year at a time or filling up of the substantial vacancy, either by way of promotion or direct recruitment, on which re-appointment has been made or attains the age of 65 years, whichever is earlier.
3. Amount paid as emoluments will be on the principal of last pay drawn minus amount of pension.
4. The District Judge shall offer such appointment after taking into consideration the past record and A.C.R. of the said retired District Court Employees.

Therefore, I am communicating the same for information and compliance.

Yours faithfully,

Ashish
15/10/2022.
Registrar General